राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	931/2017 रामस्वरूप बनाम रामजीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली कैम्प कोर्ट तामडिया में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2017 पारित करते हुए अपीलार्थीगण का वाद आंशिक डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी को अपनी भूमि की पैमाइश हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ ही अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से दावा डिक्री किया जाकर प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 551, 554, 566, 569, 626, 637, 638, 985, 988, 989, 1467/1938, 1501, 1502, 1503, 1513, 1514, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 कुल किता 21 रकबा 4.38 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजड़ी बुजुर्ग तह. चाकसू में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नही करने एवं उपयोग-उपभोग से बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/06/2017 विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप नही किया जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	